

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक / 18449-56

/2018-19

दिनांक - 02/11/18

प्रबन्धक,

बावनवारी इण्टरनेशनल स्कूल

बावनवारी

विकास खण्ड - एका।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र।

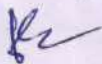
महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 12741-47/2015-16 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा आपके विद्यालय को तीन वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 30.06.2018 तक आपके विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। निरीक्षक अधिकारी की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय को समस्त मानकों के अनुरूप पाया गया। आपके विद्यालय के द्वारा समस्त मानक पूर्ण करने के फलस्वरूप, एवं विगत 03 वर्षों में कोई शिकायत संज्ञानित न होने के दृष्टिगत मैं बावनवारी इण्टरनेशनल स्कूल, बावनवारी विकास खण्ड एका को तारीख 01-07-2018 से कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) से दी गई मान्यता शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त विद्यालय की कोई शिकायत संज्ञानित न होने के कारण स्थाई मान्यता माने जाने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :





- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना :
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे :
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम परीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - | 6570.00 Sq. Mt       |
| कुल निर्मित क्षेत्र         | - | 845.00 Sq. Mt        |
| क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल   | - | 5725.72 Sq. Mt       |
| कक्षाओं की संख्या           | - | 13 शिक्षण कक्षा कक्ष |

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष - 03

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - है

पेयजल सुविधा - है

मिड डे मील पकाने के लिये रसोई - है

बाधा रहित पहुँच - है

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता - है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

*K*

*18*

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 1609271 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

*Dr. 02/11/18*

(अरविन्द कुमार पाठक)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद। *K*

पृ० सं० / मान्यता /

/ 2018-19

दिनांक -

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निदेशक(बे०) उ० प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ० प्र० इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे०) आगरा।
04. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
07. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
फिरोजाबाद।